कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0–24/2019– 1012 दिनांक : 23-10-19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/राँची वन प्रमंडल, राँची/सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु **रू0 228.604 (दो करोड़ अठाईस लाख साठ हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–31/2019–40/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.09..2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–31/2019–89/आ0 व0प0 दिनांक 27.09.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 228.604 (दो करोड़ अठाईस लाख साठ हजार चार सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	**विपत्र कोड**	**(राशि लाख में)**
मजदूरी	19S240601796400103	162.390
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796400323	66.214
कुल :–		**228.604**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर, स्थल

विवरणी **अनुलग्नक–3** पर तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796400103 एवं 19S240601796400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाऐगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाऐगा।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. इस योजना में प्राकृतिक रुप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे है,

जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते है। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

11 राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–24 / 2019–** 1012 दिनांक– 23-10-19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ जमशेदपुर/राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ जमशेदपुर/डोरण्डा, राँची/ गुमला/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0ब0–24 / 2019–** 1012 दिनांक– 23-10-19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ जमशेदपुर/ राँची/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	2019–20 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			32477.90	**13243.14**	**45721.04**
1	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	150	48.717	19.864	68.581
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	150	48.717	19.864	68.581
3	राँची वन प्रमंडल, राँची	100	32.478	13.243	45.721
4	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	100	32.478	13.243	45.721
योगः–		**500**	**162.390**	**66.214**	**228.604**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2019-20\Development\Sub-Allotment\Silvicultural Opration\TSP\Advance Work\Sub-Allot-2\Silvicultural (TSP)

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 249.83 कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2019—20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	749.49	0.00	749.49	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे0	30	7494.90	0.00	7494.90	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी/फोटोग्रफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे0 औसतन 6 चेन	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	20	4996.60	0.00	4996.60	औसतन 200 पौधे प्रति हे0 रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – 50, कंटूर साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढ़ाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9993.20	500.00	10493.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे0	6	1498.98	0.00	1498.98	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शेन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	15	3747.45		3747.45	नोट देखें
8	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	499.66	960.40	1460.06	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	499.66	0.00	499.66	
	योग—		130.00	32477.90	13243.14	45721.04	

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(B)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 287.30 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	2	574.60	640.00	1214.60	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1264.12	0.00	1264.12	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	5	1436.50	0.00	1436.50	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1149.20	0.00	1149.20	
6	पौधों की सुरक्षा (25 हे0 तक के लिए पशुरक्षक)		7.30	2097.29	0.00	2097.29	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग–		**22.70**	**6521.71**	**1140.00**	**7661.71**	
(C)	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 330.40 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2411.92	0.00	2411.92	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/ सिंगलिंग
	योग–		**7.30**	**2411.92**	**0.00**	**2411.92**	
(D)	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 379.96 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2773.71	0.00	2773.71	घेरान, कंटूर ट्रेंच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी निकौनी/कॉपिस/कटबैक/ सिंगलिंग
	योग–		**7.30**	**2773.71**	**0.00**	**2773.71**	
	सकल योग –		**167.30**	**44185.24**	**14383.14**	**58568.38**	

नोटः–

1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2019-20\Development\Sub-Allotment\Silvicultural Opration\TSP\Advance Work\Sub-Allot-2\Silvicultural (TSP)

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारेपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	काठीकुण्ड		बसकिया	नारगंज–47		1	35
			काठीकुण्ड		आमगाछी	नारगंज–32		10, 17, 161, 158	35
			काठीकुण्ड		छोटा भुईभंगा	नारगंज–33		260, 333, 325	
			काठीकुण्ड		नकटी	काठीकुण्ड–30		8, 143	30
		हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र, दुमका	मसलिया		भालुकसुन्धिया	सांपचला–18		4, 424	50
		योग :–							150
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	मुसाबनी प्रक्षेत्र			पारुलिया	घाटशिला–1091		RF	50
		चाकुलिया प्रक्षेत्र			मुढ़ाल	घाटशिला–503		1555, 1557	50
		चाकुलिया प्रक्षेत्र			खुजुरिया	घाटशिला–501		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 56, 76, 164, 168, 209	50
		योग :–							150

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
3	राँची वन प्रमंडल, राँची	बुढ़मू वन क्षेत्र, माण्डर			बुढ़मु	बुढ़मु–67		12, 48, 356, 371, 607, 723, 725, 871, 887, 1576, 1577, 1599, 1658, 2876, 2918, 2926, 2949, 2960	50
					सुमों	बुढ़मु–27		01, 03, 20, 557, 623, 625, 627, 636, 638, 639, 643, 659, 700, 1193	50
		योग :–							**100**
4	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	कोलेबिरा	कोलेबिरा		सरईपानी	कोलेबिरा–119		1308, 1242, 1160, 1103, 1232	30
		बानो	बानो		ओड़गा	बानो–6		4214, 4215	30
		बोलबा	बोलबा		कुन्दूरमुण्डा	बोलबा–64		5068	40
		योग :–							**100**
	सकल योग								**500**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-24/2019/1012 दिनांक - 23-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme NA	68936	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	4,871,700.00 रुपये अडतालीस लाख इकहत्तर हजार सात सौ
2	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme NA	68937	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	4,871,700.00 रुपये अडतालीस लाख इकहत्तर हजार सात सौ
3	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	68938	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	3,247,800.00 रुपये बत्तीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ

योग: 12,991,200.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड उन्तीस लाख इनकानवे हजार दो सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV JHARKHAND RANCHI

Run Date: 23/10/2019

पत्र संख्या - 01/YB-24/2019/1012 दिनांक - 23-Oct-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	68939	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	3,247,800.00 रुपये बत्तीस लाख सैतालीस हजार आठ सौ
5	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme NA	68940	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	1,986,400.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार चार सौ
6	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme NA	68941	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,986,400.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार चार सौ

योग: 7,220,600.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड दो लाख ग्यारह हजार आठ सौ 20,211,800.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI

 Run Date: 23/10/2019

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	68942	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
8	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	68943	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ

योग: 2,648,600.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अटाइस लाख साहट हजार चार सौ 22,860,400.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 23/10/2019